

राजस्थान-सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

“ वित्त भवन ” जनपथ, जयपुर -302015
(दूरभाष नं० 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309 , ई-मेल:- aao2.dta@rajasthan.gov.in)

नांक :- एफ 3(ख)(I)अलेसे-II 183

दिनांक :- 24-6-19

:- आदेश :-

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित कर्मियों की आदेशों की प्रतीक्षा अवधि को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 25-ए के नीचे द्युत 7(8)(B)(III) के अन्तर्गत उनके नाम के सामने अंकित कॉलम संख्या 6 में अंकित अवधि को नियमित करते हुए कॉलम संख्या 9 में अंकित भाग/कार्यालय से वेतन आहरण/भुगतान की स्वीकृति एतद् द्वारा निम्नानुसार स्वीकृत की जाती है :-

क्र.सं.	लिंक नम्बर	नाम कर्मिक मय पद (सर्वश्री)	निदेशालय में उपस्थिति देने की दिनांक	नवपदस्थापन कार्यालय का नाम	आदेशों की प्रतीक्षा अवधि	आचार संहिता की अवधि	आदेशों की प्रतीक्षा अवधि (आचार संहिता की अवधि को घटाते हुए)	प्रस्तावित कार्यालय जहाँ से भुगतान किया जाना है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	9222	विश्वेन्द्र सिंह, सलेअ-II	11.03.2019	कोषाधिकारी, झालावाड़	11.03.2019 to 30.05.2019 (09.03.2019 & 10.03.2019) राजपत्रित अवकाश	10.03.2019 to 26.05.2019 (78 days)	27.05.2019 to 30.05.2019 (4 days)	कोषाधिकारी, झालावाड़
2	5883	विनोद कुमार पंवार, सलेअ-II	19.03.2019	जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ), सीकर	19.03.2019 to 30.05.2019	19.03.2019 to 26.05.2019 (69 days)	27.05.2019 to 30.05.2019 (4 days)	जिला परिषद (पंचायत प्रकोष्ठ), सीकर

यह स्वीकृति वित्त (नियम) के परिपत्र No F.1(1)FD(Rules)/2007 दिनांक 06.08.2018 के अनुसरण में जारी की जाती है।

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :- एफ 3(ख)(I)अलेसे-II 183

दिनांक :- 24-6-19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....को प्रेषित कर लेख है कि सम्बन्धित कर्मिक का गत भुगतान प्रमाण पत्र प्राप्त कर वेतन भुगतान एवं सेवा पुस्तिका में इन्द्राज कराने की व्यवस्था करावें।
- अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय।
- श्री.....सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II कार्यालय.....

5 उपनिदेशक (एसीपी) को वेबसाईड पर अपलोड/पीआईएस में इन्द्राज करने हेतु।

6 डीपीसी अनुभाग/एसीआर अनुभाग।

7 रक्षित पत्रावली/निजी पत्रावली।

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कर्मिक-II)